



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 23.03.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 174 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का तथा तस्करी में प्रयुक्त एक मो0सा0 सुपर स्प्लेंडर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 174 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का तथा तस्करी में प्रयुक्त एक मो0सा0 सुपर स्प्लेंडर नं0 यूपी-17आर-8998 बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजीव उर्फ पप्पल पुत्र सुरेशचन्द निवासी गांव काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 174 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का ।
- तस्करी में प्रयुक्त एक मो0सा0 सुपर स्प्लेंडर नं0 यूपी-17आर-8998

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री राममूर्ती शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-का0 25 राजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 23.03.2023

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 71/23 धारा 376 भादवि व 5M/6 पोकसो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 71/23 धारा 376 भादवि व 5M/6 पोकसो एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विशाल पुत्र बबलू निवासी ग्राम ककौरकला थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री रवि रतन सिंह थाना छपरौली।

2-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना छपरौली ।

3-है0का0 526 मनीष कुमार थाना छपरौली ।

4-का0 340 मोहित कुमार थाना छपरौली ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 23-02-2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 269/2023 धारा 380/411 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से मंदिर से चोरी की हुई एक छोटी मूर्ती (पीली धातु) बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 22.03.23 को वादी संजीव शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम सरूरपुर कलाँ थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा ग्राम सरूरपुर में स्थित मन्दिर से एक छोटी मूर्ती (पीली धातु) को चोरी कर भागते हुए अभियुक्त जशवीन्द्र उर्फ गोलू पुत्र सुशील निवासी ग्राम सरूरपुर कलाँ थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को जनता की मदद से पकडकर थाने लाया गया । थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा



अभियुक्त जशवीन्द्र उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से मंदिर से चोरी की हुई एक छोटी मूर्ती(पीली धातु) बरामद हुई है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 269/23 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जशवीन्द्र उर्फ गोलू पुत्र सुशील निवासी ग्राम सरूरपुर कलाँ थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- मंदिर से चोरी की हुई एक छोटी मूर्ती(पीली धातु)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

है0का0 203 उमेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक:- 23.03.2023

थाना बडौत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-रजनीश पुत्र हरीलाल निवासी ग्राम लौहड्डा थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-नीशू पुत्र सोहनवीर निवासी ग्राम लौहड्डा थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना बडौत
- 2-का0 1016 रोहित कुमार थाना बडौत
- 3-का0 524 सौपाल सिंह थाना बडौत



प्रेस नोट
थाना दोघट दिनांक 23.03.2023

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 62/2023 धारा 308/323/504/506
भादवि में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.03.2023 को थाना दोघट पर वादी श्री आजाद पुत्र यशपाल सिंह निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1-राजपाल पुत्र श्याम सिंह, 2-ऋषिपाल पुत्र श्याम सिंह, एक महिला निवासीगण कस्बा टीकरी थाना दोघट व एक अज्ञात व्यक्ति



द्वारा वादी के साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडो से मारपीट की जिससे वादी गंभीर रूप से घायल हो गया तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 62/2023 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 308 भादवि की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 62/2023 धारा 308/323/504/506 भादवि में वाँछित 01 अभियुक्त ऋषिपाल को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना दोघट पुलिस द्वारा दिनांक 08.03.2023 को एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

ऋषिपाल पुत्र श्यामसिंह निवासी पट्टी धीमाना कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मौ0 अब्बास नकबी थाना दोघट जनपद बागपत।

2-है0का0 300 रामवीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना बडौत दिनांक 23.03.2023

आर्म्स एक्ट के आरोपी प्रदीप को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 05 माह का कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा।

कार्यवाही-

अवगत कराना है कि अभियुक्त प्रदीप पुत्र गणेश निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत को वर्ष-1993 में एक अवैध तंमचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस के साथ चैकिंग के दौरान थाना बडौत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0- 296/1993 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 23.03.2023 को मा0 न्यायालय ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0 01 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त प्रदीप को दोषी पाते हुए धारा 25 आर्म्स एक्ट में 05 माह का कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

प्रदीप पुत्र गणेश निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत ।